AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में विभिन्न विषयों पर स्वतंत्रता सेनानियों के विचार

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सुरेन्द्र कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग,
भद्रकाली महाविद्यालय
ईटखोरी, चतरा, झारखंड, भारत

शोध सार

रचनात्मक सेवा करना स्वतन्त्रता सेनानियों के स्वभाव और आदत में घर कर गयी थी और जीवन के शेष समय में वे देश और समाज के लिए कुछ करने का हौसला रखते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि उन्हें क्यों नहीं यह कार्य करने दिया जाता था, जो देश के लिए निश्चित रूप से मंगलदायक सिद्ध होता। स्वतन्त्रता सेनानी देश में घटित घटनाओं के पूर्ण तथा परिचित थे, परन्तु उनकी जो अनदेखी की गयी थी इससे उनके हृदय में दुःख हुआ। वे सत्ता के भूखे नहीं थे, केवल देश के लिए कुछ सुझाव देना चाहते थे तथा कार्य करना चाहते थे, जिसके लिए अपेक्षित सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी।

मुख्य शब्द

स्वतंत्रता सेनानी, साम्प्रदायिक दंगे, शरणार्थी समस्या, स्वतंत्रता आन्दोलन, पंचवर्षीय योजना, राजनैतिक परिवर्तन.

प्रस्तावना

14 अगस्त 1947 को कायद–ए–आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्वतन्त्रता की घोषणा करने हुए कहा था कि यह कटा–छंटा घुन लगा पाकिस्तान है, अर्थात् जिस प्रकार का पाकिस्तान उन्हें मिला उससे वे सन्तुष्ट नहीं थे।

भारत के बंटवारे में आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा बंगाल भी पाकिस्तान का अंग बना, जो अब बांगलादेश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत का मानचित्र भी कटा–छंटा था और इसकी अन्दरूनी हालत में भी घुन लगी हुई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति खुशी का अवसर होता है इसलिए श्री जवाहर लाल नहरू ने इस विषय में कोई शिकायत नहीं की, परन्तु सच्चाई यह थी कि भारत के मानचित्र पर केवल विभाजक रेखाएं ही नहीं खींची जा रही थी, बल्कि लोगों के हृदय भी विदीर्ण हो रहे थे। साम्प्रदायिक दंगों के कारण देश में खून की नदियां बह रही थी। पंजाब और बंगाल से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे और मुसलमान बड़ी संख्या में भारत से पाकिस्तान जा रहे थे।

विभाजन एक हृदयविदारक दृश्य उपस्थित कर रहा था जिसे देखकर स्वतन्त्रता सेनानी हतप्रभ थे। विभाजन के विरूद्ध वे एक शब्द भी नहीं बोल सके, क्योंकि उनकी समझ में यह निर्णय उनके नेताओं द्वारा सोच–समझकर

ही लिया गया होगा, परन्तु नरसंहार और निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं को देखकर और सुनकर उनकी आत्मा तक हिल गयी।

अंग्रेज अधिकारी भारत छोड़कर इंगलैंड जा रहे थे। उनके स्थान पर भारतीय अधिकारी स्थिति को संभाल रहे थे। इसके कारण जो अनुभवहीनता प्रशासन में नजर आयी उससे भी स्थिति डांवाडोल हो गयी थी।

अनावृष्टि के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। नियम–कानून और विधि–व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अनाज की खरीद–बिक्री ठप हो गयी थी और उसके मूल्य में वृद्धि हो गयी थी। इस प्रकार भारत में एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व लिया कि वे अपने निर्देशन में अनाज का वितरण करायेंगे और उनलोगों ने ऐसा किया भी, जिसके कारण जिला में भूख से किसी के मरने का समाचार नहीं मिला। शरणार्थी शिविरों में भी आटा, चीनी, मैदा, सूजी, पावरोटी, चाय, कैरोसिन तेल आदि की आपूर्ति की गयी। शरणार्थी शिविरों में चिकित्सा व्यवस्था की गयी और चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त किया गया। इन सारी व्यवस्थाओं में सरकारी अधिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों का बराबर का साथ और हाथ रहा।

इस प्रकार स्वतन्त्रता के साथ ही देश के विभाजन से उत्पन्न साम्प्रदायिक दंगे बड़ा हादसा बनकर भारत में आया, जिसका सामना काफी हिम्मत और दिलेरी से स्वतन्त्रता सेनानियों ने ठीक उसी प्रकार किया जिस प्रकार अंग्रेजों का सामना उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन काल में किया था।

देश का अपना संविधान बन जाने के बाद 1952 ई. में आम चुनाव हुआ'' और उसमें स्वतन्त्रता सेनानियों ने भी भाग लिया। 1952 ई. में भारतीय संसद में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन. डी. सी.) की स्थापना की गयी जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना था। पंचवर्षीय योजनाओं ने देश के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित कर दी। इसमें कृषि, सिंचाई, विद्युत उत्पादन जैसे बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता दी गयी।

इसके पहले ही 1952 ई. में राज्य विधायिका के द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके द्वारा किसानों के शोषण का एक बड़ा अस्त्र नष्ट कर दिया गया था। बहुत पहले ही काँग्रेस का यह निश्चय था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो पहला काम काँग्रेसी सरकार करेगी, वह जमीन्दारी उन्मूलन का होगा। जब जमीन्दारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ, तब श्री कामेश्वर सिंह, जो दरभंगा के महाराज और देश के सबसे बड़े जमीन्दार थे, ने उच्च न्यायालय में इस अधिनियम को चुनौती दी और फिर उच्चतम न्यायालय ने इसे क्षतिपूर्ति को लेकर अवैध घोषित कर दिया, तब सेविधान का प्रथम संशोधन हुआ जिसमें अधिनियम का नाम बदलकर भूमि सुधार अधिनियम किया गया। इस प्रकार संविधान में एक नौवीं सूची जोड़ी गयी, जिसमें सभी भूमि विकास अधिनियम रखे गए और न्यायालय को क्षतिपूर्ति के आधार पर इन नियमों को समझने और चुनौती देने से वंचित कर दिया गया अर्थात् जमीन्दारी उन्मूलन अधिनियम उच्च या उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए अब नहीं जा सकती थी। इस प्रकार उनके क्षेत्राधिकार सीमित कर दिए गए।

28 मई 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का देहान्त हो गया। यह स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए एक दुःखद घटना थी। स्वतन्त्रता सेनानी जवाहर लाल नेहरू को काँग्रेस का पर्याय मानते थे। वे उनके नेतृत्व के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उनके बिना वे काँग्रेस की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। नेहरूजी के अन्तिम दिनों में पूरे देश के जनमानस में और विशेषकर स्वतन्त्रता सेनानियों में यह चर्चा का विषय था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा अर्थात् भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तत्पश्चात् काँग्रेस के अन्दर जो एक सिन्डीकेट बन गयी थी, उस सिन्डीकेट ने लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया। शास्त्रीजी ने सफलतापर्वक शासन चलाया और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण ताशकन्द में हुए समझौते के बाद हृदयगति रूक जाने के कारण ताशकन्द में ही उनकी मृत्यु हो गयी।

उनके बाद प्रधानमंत्री बनते गए, जिनमें श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चौधरी चरण सिंह,

राजीव गाँधी आदि प्रमुख थे। स्वतंत्रता सेनानियों को जबर्दस्त झटका तब लगा जब इन्दिरा गाँधी तथा राजीव गाँधी की हत्या कर दी गयी।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सन् 1982 में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना लागू की और उन्हें ताम्र–पत्र तथा दुपट्टा देकर सम्मानित किया। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड के अहाते में शिलालेख पर प्रखण्ड के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं। उसके बाद सरकारी आयोजनों, विशेषकर 15 अगसत (स्वतन्त्रता दिवस) और 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के अवसर पर क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाने लगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों ने अखिल भारतीय स्तर पर अपना संगठन बनाया है। समय–समय पर स्वतंत्रता सेनानियों की सभा आयोजित की जाती है और वे अपने विचारों को उस मंच से अभिव्यक्त करते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समय–समय पर हुए राजनैतिक परिवर्तन अन्तरात्मा को झकझोरने वाली सिद्ध हुई है, परन्तु उससे भी अधिक झकझोरने वाले परिवर्तन देश के आर्थिक क्षेत्र में हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में हरित क्राति, अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता, बड़े–बड़े कल–कारखाने का निर्माण, नदियों पर भाखड़ा नांगल जैसे बाँध आदि सभी आधुनिक भारत के तीर्थस्थल हैं, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अभिव्यक्त किया था।

पंचवर्षीय योजनाओं ने देश को सन्तुलित विकास की और उन्मुख किया है। स्वतंत्रता सेनानियों को यह विश्वास है कि गाँधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर देश के विकास की रूप–रेखा तैयार की जानी चाहिए थी, पर किसानों, खेत–खलिहानों, कुटीर अद्योगों आदि सारी बातों को भूलकर आज सरकार द्वारा देश में बड़े–बड़े कारखाने लगाये जा रहे हैं, वह भी सार्वजनिक क्षेत्र में, जो दुर्भाग्य से घाटे में चल रहे हैं। कपड़े के कई मिल बन्द पड़े हैं तथा कपड़ा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण लोग समुचित मात्रा में कपड़ा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार स्वतन्त्रता सेनानियों का मत था कि गाँधीजी की लीक से हटकर पश्चिमी नमूने पर देश का आर्थिक विकास किया जा रहा है जो भारत जैसे गरीब और ग्रामीण' देश के लिए उचित नहीं है। सम्भवतः यही मुख्य कारण है कि आज देश के सभी उद्योग–धन्धे घाटे पर चल रहे हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों पर गाँधीजी का इतना गहरा प्रभाव है कि वे अभी तक गाँधीजी अथवा उनके सिद्धान्तों को भुला नहीं पा रहे हैं।

20–सूत्री कार्यक्रम तथा गरीबी उन्मूलन की जो कई योजनाएं सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं. उनसे भी स्वतन्त्रता सेनानी सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि गरीब जनता तक सरकारी सहायता नहीं पहुँच पाती है और सरकारी, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार तथा राजनीतिक विकास के अन्य छोटे साथी उन्हें झपट लेते हैं। इस प्रकार विकास कार्य नहीं हो पाता। बड़े–बड़े बाँधो से सिंचाई के लिए नहर नहीं निकाली जा सकी। किसान अभी भी कर्ज में डूबे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज के किसानों की स्थिति भी गुलाम भारत के किसानों की भाँति ही सन्तोषजनक नहीं है। धन सिमटकर नगरों में आ गया है, जहाँ बड़े–बड़े महल और होटलों का निर्माण हो रहा है।

निष्कर्ष

स्वतन्त्रता सेनानियों का कथन कि विकास का अधिक ठोस आधार होता, यदि विकास के कार्यक्रम गाँधीवादि विचारों पर आधारित होते। उनके मन में कभी–कभी यह शंका भी उत्पन्न होती है कि कहीं देश गलत मार्ग पर भटक तो नहीं गया है। परन्तु स्वतन्त्रता सेनानी अपना कर्त्तव्य जानते थे और अपने जीवन की संध्या वेला में देश और समाज के लिए जो योगदान वे कर सकते थे, करने के लिए सदा तत्पर रहते थे।

चिन्ता का कारण उनके लिए यह था कि वे समाज में परिवर्तन वैसा हो जो एक सुखी और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए नहीं चाहिए। स्वतन्त्रता सेनानियों का मानना था कि गाँधीजी ने साधन तथा साध्य की शुद्धता पर बल दिया था और वे भी इसी मार्ग पर चलना चाहते थे।

संदर्भ सूची

1. महात्मा गाँधी द्वारा सम्पादित तथा हरिजन सेवा संघ, वर्षा प्रकाशन, पुणे।

2. दत्त, के. के. (1957) *बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास,* बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ. 11।
3. बिहार प्रान्तीय कॉंग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोर्ट, 1968–29।
4. सीतारम्मैया, बी. पट्टाभि (1935) *हिस्ट्री ऑफ दी इण्डियन नैशनल कॉंग्रेस,* भाग 2, SI कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, पृ. 206–217।
5. शर्मा, विमलाचरण एवं विक्रम, केशरी (1972) *छोटानागपुर का भूगोल,* राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 187
6. प्रसाद, राजेन्द्र (1946) *आत्मकथा,* भारतीय साहित्य संग्रह, पृ. 150–155।
7. भगवान, विष्णु (1972) *कान्स्टीच्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एण्ड नेशनल मूवमेन्ट,* आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृ. 306–310।
8. निर्धनता उन्मूलन योजना (20–सूत्री कार्यक्रम 1986) उद्देश्य और नीतियां, भारत सरकार, 1988
9. कुमार, सुरेन्द्र (2007) *स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनगाथा,* कलास्किल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली, पृ. 55 – 56।

––==00==––